न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 28/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/123

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी नागौर।		श्री ताराचन्द माली पुत्र श्री नेमीचन्द माली निवासी दयानन्द कॉलोनी लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 **Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevetion of Mal-practices) Order** 2005 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी की ओर से वकिल महेन्द्र खिलेरी

–ःआदेशः– दिनांकः 11.06.2024

निवेदन है कि उपरोक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

दिनांक 17.02.2022 के मुखबिर से दूरभाष पर सूचना मिली कि डीडवाना–लाडनूं रोड, बस स्टैण्ड के पास सांवराद तहसील लाडनूं पर अवैध फिलिंग स्टेशन संचालित है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक एवं विरेन्द्रसिंह जाखड प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुँचकर आकस्मिक जाँच की। सांवराद बस स्टैण्ड के पास खसरा नम्बर 385/137 पर बने मैसर्स जय भैरूनाथ एस्सार (नायरा) पेट्रोल पम्प पर पहुँचकर कार्यवाही करने के पश्चात् लगभग 100 [illegible] पर स्थित अन्य पेट्रोल पम्प के अवैध संचालन के सम्बन्ध में जानका[illegible] प्राप्त [illegible] पर मय टीम व पुलिस जाब्ता श्रीमनफूलराम कानि. बेल्ट नं. 1386 व श्री राम[illegible] कानि. बैल्ट नं. 556 के साथ मौके पर पहुचे। मौके पर उप[illegible] [illegible] श्री ताराचन्द पुत्र श्री नेमीचन्द निवासी दयानन्द कॉलोनी लाडनूं बताया। श्री [illegible]चन्द माली से पूछताछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

करने पर बताया कि पूर्व में उनके पास बैरल पाईट का अनुज्ञापत्र था। किन्तु बैरल पाईन्ट का अनुज्ञापत्र राज्य सरकार द्वारा बन्द करने के पश्चात् बैरल पाईन्ट के लाईसेंस की आड में उसके द्वारा दूसरे पेट्रोल पम्पों से फुटकर में डीजल खरीद का उसको भूमिगत टैंक में भण्डारित कर डिस्पेसिंग यूनिट के माध्यम से वाहनों को विक्रय करता हूँ। प्रति दिन औसतन 1000–1200 लीटर डीजल का विक्रय करता हूँ। डीजल की विक्रय दर 94.68 प्रति लीटर डिस्पेसिंग यूनिट पर प्रदर्शित हो रही है। श्री ताराचन्द माली से पहचान के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज मांगे जाने पर उसके अपने पास वाहन मोटर साईकिल वाहन सं. आर.जे. 37 एसएच.7000 की आरसी पेश की जिस पर ऑनर का नाम श्री ताराचन्द पुत्र श्री नेमीचन्द निवासी दयानन्द कॉलोनी लाडनूं अंकित किया पाया गया। श्री ताराचन्द से मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज यथा विस्फोटक अनुज्ञापत्र मांगे जाने पर श्री ताराचन्द माली ने कहा कि दस्तावेज फिलिंग स्टेशन के ऑफिस केबिन से लेकर आता हूँ। कुछ देर तक श्री ताराचन्द माली वापस नहीं लौटा तो केबिन में प्रवेश करने पर पाया कि केबिन के पीछे का दरवाजा खुला था। दरवाजे के पीछे के स्थान पर तलाश करने पर व श्री ताराचन्द माली को आवाज लगाने पर कोई जबाब नहीं आया। पीछे की दीवार से झांकर देखने पर श्री ताराचन्द माली के कूदने के पदचिह्न पाये गये। आस पास तलाश करने पर भी कहीं नहीं मिला। मौके पर उपस्थित पुलिस जाब्ता द्वारा भी श्री ताराचन्द माली की तलाश की गई लेकिन कहीं नहीं मिला। तत्पश्चात् मौके पर सांवराद ग्राम पंचायत के ही ग्राम मिण्डासरी के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामसिंह को बुलवाया जाकर श्री ताराचन्द माली के मो. नं. 6377742151 प्राप्त किये। उक्त मोबाईल नं. पर सम्पर्क करने पर फोन स्वीच्ड ऑफ बताया। श्री रामसिंह मिण्डासरी ने अपने सम्पर्क सूत्रों के माध्यम से श्री ताराचन्द माली के बड़े भाई श्री दीनदयाल सांखला पुत्र श्री नेमीचन्द को सूचित किया कि जिला रसद अधिकारी व टीम मय पुलिस जाब्ता आपके पेट्रोल पम्प पर है और आपका भई ताराचन्द चकमा देकर मौके से फरार हो गया। अतः आप अपने भाई श्री ताराचन्द से सम्पर्क कर उसको लेकर मौके पर पहुँचे। कुछ समय पश्चात् श्री ताराचन्द माली के बड़े भाई श्री दीनदयाल सांखला मौके पर पहुँचे। श्री दीनदयाल सांखला ने बताया कि उनके पुत्र श्री कौशल सांखला की दादेर सासु का देहान्त हो जाने के कारण ग्राम राजलदेसर से सीधें सांवराद गांव आये है। बीच रास्ते पर बार बार मेरे द्वारा मेरे छोटे भाई श्री ताराचन्द माली को फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उसका फोन स्वीच्ड ऑफ आ रहा था। मौके से मुलजिम फरार हो जाने की सूचना श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर को मौके की वस्तुस्थिति से दूरभाष पर अवगत करवाकर तहसीलदार लाडनूं को मौके पर भेजने हेतु निवेदन किया। कुछ समय पश्चात् तहसीलदार लाडनूं मौके पर पहुँचे। श्री दीनदयाला सांखला, तहसीलदार लाडनूं, पुलिस जाब्ता व स्वतंत्र गवाहों के समक्ष भूमिगत टैंक का डिप रोड से मापन करने पर लगभग 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

भण्डारित पाया गया। मौके पर मैसर्स आर.पी. इण्डियन आयल शिमला के कार्मिक श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री परमेश्वरलाल द्वारा डेनसिटी मापक यंत्रों से पेट्रोलियम पदार्थ का घनत्व मापन किया गया। नोजला से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर घनत्व मापन करने पर 21° C तापमान पर 817 घनत्व आया। जिसका डेनसिटी चार्ट के अनुसार 15° C तापमान पर डेनसिटी 821.2 प्राप्त हुई जो प्रथम दृष्टया शुद्ध डीजल (एचएसडी) प्रतीत न होकर मिलावटी डीजल पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत हुआ। मौके पर उपस्थित श्री दीनदयाला सांखला से पेट्रोलियम पदार्थ के खरीद के बिल व भण्डार व विक्रय से सम्बन्धित अनुज्ञापत्र विस्फोटक लाईसेंस, नोजला केलीबगेशन सम्बन्धी विधिक बाट–नाप अधिकारी का प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज मांगे जाने पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया व श्री दीनदयाल सांखला ने अवगत करवाया कि उनके पास व फिलिंग स्टेशन की केबीन में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है।

मौके पर किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर भूमिगत टैंक में भण्डारित कुल 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए एमएस. एवं एचएसडी आदेश 2005 के उपबन्धों का उल्लघंन पाये जाने पर उक्त आदेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतू हुए जब्त सरकार किया गया। भूमिगत टैंक से जुडे नोजल के माध्यम से निकालें पेट्रोलियम पदार्थ को एक स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टी में भरा गया। इस पेट्रालियम पदार्थ को तीन एल्युमिनियम पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर प्रति पात्र 1000 एमएल पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। तीनों एल्युमिनियम पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं यथा उत्पाद का नाम, स्त्रोंत, स्थान दिनांक आदि चस्पा कर प्लास्टिक सीलों में सील कर तीनों नमूनों को क्रमांक (मार्का) सी.–1,सी.–2 व सी.–3 दिया गया। नमूना क्रमांक सी.–1 को प्लास्टिक सील सं. 3187633 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक सी.–2 को प्लास्टिक सील सं. 3187616 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक सी.–3 को प्लास्टिक सील सं. 3187678 3187604 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक सी.–1 वास्ते एफएसएल. साथ में लिया गया। नमूना क्रमांक सी.–2 को श्री दीनदयाल सांखला को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना क्रमांक सी.–3 को कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिया गया। पेट्रोलियम पदार्थ को नोजल के माध्यम से मौके पर मंगवाकर एक प्लास्टिक ड्रम व चार लोहे के ड्रमों में भरवाया गया। प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर पेट्रोनियम पदार्थ भरा गया। मौक पर कार्यरत डिस्पेसिंग यूनिट के नोजल सं. 1 को प्लास्टिक सील नं. 3187696 से सील्ड किया गया। मौके पर बन्द पाये गये दूसरे डिस्पेसिंग यूनिट के नोजल को प्लास्टिक सील नं. 3187622 से सील्ड किया गया। मौके पर उपस्थित श्री दीनदयाल सांखला को [illegible] किया कि डिस्पोसिंग यूनिट की सील से निर्णय होने तक किसी प्रकार [illegible] छेड़[illegible] नहीं की जावें। जब्तसुदा 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 5 ड्रम (1 प्ला[illegible]क व 4 लौहा) को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु व आवश्यकता होने पर न्यायालय के समक्ष सही सलामत स्थिति में प्रस्तुत करने की शर्त पर मैसर्स आर.पी. [illegible]ण्डियन ऑयल शिमला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री परमेश्वरलाल निवासी कोलिया को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

श्री ताराचन्द का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevetion of Mal-practices) Order 2005 के क्लॉज 2 (D), 3 (4), (5) व 4 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 5 ड्रम (1 प्लास्टिक व 4 लौहा) को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अधिकारिता/अनुज्ञप्ति के डीजल को दुसरे पेट्रोल पम्प से फुटकर में डीजल खरीद कर उसको भूमिगत टैंक में भण्डारित कर डिस्पेसिंग यूनिट के माध्यम से वाहनों को विक्रय करता है। प्रतिदिन औसतन 1000–1200 लीटर डीजल का विक्रय करता है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में अप्रार्थी द्वारा ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञप्ति डीजल का विक्रय किया जाना Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevetion of Mal-practices) Order 2005 के क्लॉज 2 (D), 3 (4), (5) व 4 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 6ए के तहत Confiscation करने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तसुदा 1000 लीटर डीजल का नियमानुसार किमतन निस्तारण किया जावें। निलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जो नियमानुसार राजकोष में जमा कराई जावें। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 11.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:37 IST
Reason: SelfAttested

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन